न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 131/2018
3. उनवान : द्वारका प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम भैंसलाना तहसील रेनवाल जिला जयपुर।

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 10.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक अपीलान्ट की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2004 द्वारा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 523 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 525 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 526 रकबा 0 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 527 रकबा 7 बीघा, खसरा नंबर 528 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 532 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, ,खसरा नंबर 1005 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 1006 रकबा 0.06 बिस्वा, खसरा नंबर 1007 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 1008 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1009 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1010 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 1011 रकबा 10 बिस्वा कुल खसरा 14 किता 45 बीघा 16 बिस्वा ग्राम भैंसलाना तहसील रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है, जो अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से खातेदारी एवं कब्जे काश्त चली आ रही है तथा अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के दादा स्व. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र सालदार इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार थे एवं उक्त भूमि का लगान अदा करते आ रहे थे। स्व. लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के बाद अपीलान्ट के पिता स्व. श्री हनुमान प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे एवं उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार होने से जरिये रजिस्टर्ड नं. 1 जिल्द पृष्ठ संख्या 15 से 18 दिनांक 27.04.1962 को दर्ज कर दिनांक 23.03.66 द्वारा विधि सम्मत तौर पर अपीलान्ट के पिता स्व. श्री हनुमान प्रसाद के नाम उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोला गया।

अपीलान्ट के पिता स्व. श्री हनुमान प्रसाद जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर अपीलान्ट बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है एवं अपीलान्ट के पिता स्व. श्री हनुमान प्रसाद जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 05.02.1999 को विधि सम्मत तौर पर अपीलान्ट के नाम जमाबन्दी में दर्ज किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलान्ट मय परिवार निवास करता है एवं काश्तकार खातेदार काबिज है तथा उक्त भूमि का लगान अदा करता आ रहा है।

तहसीलदार फुलेरा द्वारा जमाबन्दी में दर्ज द्वारका प्रसाद पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद के नाम दर्ज खातेदारी का अंकन बिना इल्म व आगाह अपने आदेश दिनांक 23.06.04 के द्वारा गलत तौर पर मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम स्वीकार कर दिया गया एवं अपीलान्ट का खातेदारी नाम का अंकन विलोपित कर बिना सुनवाई बिना इल्म व आगाह उक्त भूमि का अंकन माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम अंकन स्वीकार कर दिया।

Office of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

उक्त गलत अंकन की जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 08.01.2018 को उक्त आदेश दिनांक 26.06.14 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने से दिनांक 08.01.2018 को हुई। अपीलान्ट के दादा स्व. श्री हनुमान प्रसाद उक्त खसरा नंबरान की खातेदारी पर काश्तकार काबिज थे, उसके पश्चात जब अपीलान्ट के दादाजी का स्वर्गवास हो गया तो कानूनी वारिसान के रूप में अपीलान्ट के पिताजी स्व. हनुमान प्रसाद के नाम जरिये रजिस्टर्ड नं 1 जिल्द पृष्ठ संख्या 15 से 18 दिनांक 27.04.1962 को दर्ज कर दिनांक 23.03.66 द्वारा विधि सम्मत तौर पर खोला गया एवं उक्त खसरा नंबरान की भूमि पर अपीलान्ट के पिताजी काबिज काश्त रहे तदुपरान्त अपीलान्ट के पिताजी का निधन हो जाने के बाद अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 05.03.1999 को विधि सम्मत तरीके से नामान्तरकरण तस्दीक हुआ। तबसे ही अपीलान्ट उक्त खसरा नंबरान की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट पूर्वजों के समय से लगातार उक्त खसरा नंबरान की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है लेकिन तहसीलदार ने बिना अपीलान्ट को सूचित किये ही मनमाने तरीके से अपीलान्ट का नाम जमाबन्दी से विलोपित कर मंदिर माफी के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, जबकि न्याय का यह प्राकृतिक सिद्धान्त है कि दूसरे पक्षकार को सुने बिना किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

अन्त में निवेदन किया गया है कि ग्राम भैसलाना तहसील रेनवाल जिला जयपुर के तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.06.2004 को अपास्त कर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण में उक्त खसरा नंबरान की कृषि भूमि का अंकन किये जाने के आदेश फरमावें।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि ग्राम भैंसलाना तहसील रेनवाल जिला जयपुर में स्थित निगरानीधीन भूमि अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से खातेदारी एवं कब्जे काश्त चली आ रही है तथा अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के दादा स्व. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र सालदार इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार थे एवं उक्त भूमि का लगान अदा करते आ रहे थे। लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के बाद अपीलान्ट के पिता स्व. श्री हनुमान प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे एवं उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार होने से जरिये रजिस्टर्ड नं. 1 जिल्द पृष्ठ संख्या 15 से 18 दिनांक 27.04.1962 को दर्ज कर दिनांक 23.03.66 द्वारा अपीलान्ट के पिता स्व. श्री हनुमान प्रसाद के नाम उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोला गया। अपीलान्ट के पिता स्व. श्री हनुमान प्रसाद जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 05.02.1999 को अपीलान्ट के नाम जमाबन्दी में दर्ज किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि का लगान निरन्तर अदा किया जा रहा है। विवादित भूमि के संबंध में बैंक दस्तावेज एवं लगान रसीदें अपीलान्ट के पास हैं। तहसीलदार फुलेरा द्वारा जमाबन्दी में दर्ज द्वारका प्रसाद पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद के नाम दर्ज खातेदारी विलोपित कर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उक्त भूमि का अंकन माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम अंकन स्वीकार कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। भूमि को माफी मंदिर में दर्ज करने हेतु नियमानुसार रेफरेन्स तैयार किया जाना चाहिए था, किन्तु तहसीलदार द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलान्ट का नाम विलोपित कर दिया गया। अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में नामान्तरकरण 23.12.80, नामान्तरकरण

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

विरासत 05.02.99, जमाबंदी 27.03.66, जमाबंदी संवत 2060, पास बुक एवं लगान रसीदों की प्रति पेश की है।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस अपीलाधीन नामान्तरकरण को विधि सम्मत तथा सही बताते हुए अपील खारिज करने का कथन किया।

हम अपीलार्थी की अपील, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा उभयपक्ष की बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि

1. तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के माध्यम से अपीलाधीन भूमि का स्वामित्व अपीलार्थी के स्थान पर माफी मन्दिर के नाम सीधे ही दर्ज किया गया है, जबकि उक्त समस्त कार्यवाही व प्रकिया रेफरेन्स के माध्यम से की जानी चाहिए थी तथा जिसकी अधिकारिता केवल राजस्व मण्डल राजस्थान को है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण में प्रकियात्मक त्रुटि एवं अधिकारिता से बाहर होना पाते है।

2. तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकार करते समय अपीलार्थी, जो कि अपीलाधीन भूमि का तत्समय रिकॉर्डेड खातेदार था, को विधिवत नही सुना गया, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है।

3. तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ने जवाब में अपीलाधीन नामान्तरकरण का आधार स्पष्ट नही किया है तथा उक्त विषय मे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की पालना के सबध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज करते हुए तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड करते हैं कि वे 3 माह में अपीलार्थी को सुन कर राज्य सरकार के निर्देश एवं कानूनी प्रकियाओं की पालना करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा आवश्यकता पडने पर सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स अवश्य दायर करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर